न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया
पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 489/2024
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

अजय कुमार पुत्र श्री रामलाल सहारण जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. रामलाल उर्फ रामूराम पुत्र श्री मन्शाराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. ममता पुत्री श्री रामलाल उर्फ रामूराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सरवन पुत्र श्री मन्शाराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. परमवीर पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. दीपेश पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

उपस्थिति :–
वादीगण की ओर से :– श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट
प्रतिवादी की ओर से :– श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :– 30.8.2024

वादी अजय कुमार ने प्रतिवादीगण रामलाल वगैरा के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 वादी का पिता, प्रतिवादी सं. 2 वादी की बहिन, प्रतिवादी सं. 3 वादी का चाचा, प्रतिवादी सं. 4 व 5 वादी के चचेरे भाई जो कि एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। वादी के पिता एव चाचा प्रतिवादी सं. 1 व 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 104/51 जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 में 10.120 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक की खाता की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपि सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त विरासतन कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नही होने के कारण तथा प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के अन्य लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि की आय का अपने निजी व्यसनों पर खर्च करने के कारण वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया था। जिसमें प्रतिवादी सं. 2 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की कृषि भूमि का परित्याग वादी एवं प्रतिवादी सं. 1, 3 ता 5 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया था। अब प्रतिवादी सं. 2 का उक्त कृषि भूमि में कोई भी हक व हिस्सा शेष नही रहा है। वादी एवं प्रतिवादी [illegible] ता 5 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से हैं

(क) वादी अजय कुमार पुत्र श्री रामलाल सहारण व प्रतिवादी [illegible] मन्शाराम समस्त जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि– चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 104/5 जमाबन्दी सम्वत 2071–74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
153/177	37	6/1/0.163 है., 6/2/0.018 है., 7,8/0.253 है.प्र. 9,10/0.180 है., 11ता14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17ता24/0.253 है.प्र.,

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kun
Meena
Date: 2024.09.09 15:00:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

मुमकिन 4.605 है., गै.मु. 0.093 है., कुल 4.698 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) **प्रतिवादी सं. 3 ता 5 क्रमशः सरवन पुत्र श्री मन्शाराम, परमवीर पुत्र श्री श्रवण कुमार, दीपेश पुत्र श्री श्रवण कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-**

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 104/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
153/176	26	22,23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.,
154/176	25	19ता22/0.253 है.
154/177	38	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है. 9ता12/0.253 है.
153/177	37	1ता4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.065 है., 6/2/0.007 है., 7,8/0.072 है.प्र., 9,10/0.073 है.

मुमकिन 5.290 है., गै.मु. 0.132 है., कुल 5.422 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी एवं अन्य प्रतिवादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का जन्म से हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये। प्रतिवादी सं. 6 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. 104/51 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 की प्रति पेश की गई जो प्रदर्श-1 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 5 सांझा खाता के काश्तकार है तथा आपस में कोई विरोध नही है। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 5 ने सहमति के जवाब दावे [illegible] डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का [illegible]या। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी के पिता एवं [illegible] प्रतिवादी [illegible] 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 7 एम.जे.डी. के खाता सं. [illegible]/51 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74 में 10.120 है. कृषि भूमि [illegible] प्रतिवादी सं. 1 ता 5 द्वारा सहमति का जवाब [illegible] के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नही है। वाद पत्र में [illegible] कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 5 सांझा खाता के काश्तकार है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र मुताबिक सहमति के जवाब दावे अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

लगातार --3

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.09.09 15:00:11 IS
Reason: SelfAttested

-:: क्रियात्मक आदेश ::-

अतः वाद वादी मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

(क) वादी अजय कुमार पुत्र श्री रामलाल सहारण व प्रतिवादी सं. 1 रामलाल पुत्र श्री मन्शाराम समस्त जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 104/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
153/177	37	6/1/0.163 है., 6/2/0.018 है., 7,8/0.253 है.प्र. 9,10/0.180 है., 11ता14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17ता24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

मुमकिन 4.605 है., गै.मु. 0.093 है., कुल 4.698 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 3 ता 5 क्रमशः सरवन पुत्र श्री मन्शाराम, परमवीर पुत्र श्री श्रवण कुमार, दीपेश पुत्र श्री श्रवण कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 104/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
153/176	26	22,23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.,
154/176	25	19ता22/0.253 है.
154/177	38	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है. 9ता12/0.253 है.
153/177	37	1ता4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.065 है., 6/2/0.007 है., 7,8/0.072 है.प्र., 9,10/0.073 है.

मुमकिन 5.290 है., गै.मु. 0.132 है., कुल 5.422 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर कब्जाकाश्त के अभाव में प्रतिवादीगण/सहखातेदारान का नाम कब्जाकाश्त के अभाव में कलमजन किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोटः- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 30.8.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीणा)
सहायक कलेक्टर
उपखण्ड अधिकारी(राज.)
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 15:00:11 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
पीठासीन अधिकारीः- राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)
प्रकरण सं. 484/2024

अजय कुमार पुत्र श्री रामलाल सहारण जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

– वादी

बनाम्

1. रामलाल उर्फ रामूराम पुत्र श्री मन्शाराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. ममता पुत्री श्री रामलाल उर्फ रामूराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सरवन पुत्र श्री मन्शाराम जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. परमवीर पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. दीपेश पुत्र श्री श्रवण कुमार जाति जाट निवासी नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

– प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- 30.8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ **राकेश कुमार मीना(आर.ए.एस.)** के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी **श्री कुलदीप मुण्ड** वकील वादीगण मिन जानिब मुदई **श्री महावीर बेरड़** वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है किः-

(क) वादी अजय कुमार पुत्र श्री रामलाल सहारण व प्रतिवादी सं. 1 रामलाल पुत्र श्री मन्शाराम समस्त जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 104/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
153/177	37	6/1/0.163 है., 6/2/0.018 है., 7,8/0.253 है.प्र. 9,10/0.180 है., 11ता14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17ता24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.

मुमकिन 4.605 है., गै.मु. 0.093 है., कुल 4.698 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 3 ता 5 क्रमशः सरवन पुत्र श्री मन्शाराम, परमवीर पुत्र श्री श्रवण कुमार, दीपेश पुत्र श्री श्रवण कुमार समस्त जाति जाट निवासीगण नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमिः-

चक 7 एम.जे.डी. खाता सं. 104/5 जमाबन्दी सम्वत् 2071-74

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
153/176	26	22,23,24/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.,
154/176	25	19ता22/0.253 है.
154/177	38	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 9ता12/0.253 है.
153/177	37	1ता4/0.253 है., 5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है., 6/1/0.065 है., 6/2/0.007 है., 7,8/0.072 है.प्र., 9,10/0.073 है.

मुमकिन 5.290 है., गै.मु. 0.132 है., कुल 5.422 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

लगातार --2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.09 15:00:11 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादीगण के नाम से कृषि भूमि दर्ज की जाकर कब्जाकाश्त के अभाव में प्रतिवादीगण/सहखातेदारान का नाम कब्जाकाश्त के अभाव में कलमजन किया जाकर खाता अलग से कायम किया जावे।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज ....X.... निल ....X.... मुब्लिक ....X....निल ....X.... बाबत् ....X.... निल....X.... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ....X....को अदा करे।

बसबत मेरे दस्तखत एवं मोहर अदालत से आज दिनांक 30.8.2024 को जारी किया जाता है।

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kum Meena
Date: 2024.09.09 15:00:11 IST
Reason: SelfAttested